

क्रम-संख्या-135



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०

डब्ल०/ एन०पी०-91/ 2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग - 5, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1554/79-वि-1-20-1(क)-38-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 जिससे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से संबंधित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण)

अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य में स्थापन एवं संचालन के प्रारम्भिक वर्षों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्थापन एवं संचालन हेतु अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों तथा निरीक्षणों से छूट प्रदान करने और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

उद्देशिका : चूंकि राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को चिन्हित करके समावेशी आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के स्थापन तथा संचालन को सरलीकृत करने के लिए अपेक्षित कितिपय अनुमोदना तथा निरीक्षणों और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों से छूट प्रवर्तित करना समीचीन है।

अतएव, भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम,
विस्तर और
प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2- जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम, 2020 से है;

(ख) "अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र से है;

(ग) "अनुमोदन" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य में किसी उद्यम के स्थापन या संचालन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के किसी विधि के अधीन अपेक्षित किसी अनुज्ञा, अनापत्ति, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, लाईसेंस आदि से है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य सरकार के किसी विभाग या अधिकरण अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण, सांविधिक निकाय, राज्य का स्वामित्वाधीन निगम, पंचायती राज्य संस्था, नगर पालिका, नगर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या उत्तर प्रदेश के किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण या अभिकरण से है, जिसे राज्य में किसी उद्यम के स्थापन या संचालन के लिये अनुमोदन प्रदान करने या जारी करने की शक्तियाँ या उत्तरदायित्व सौंपे गये हों।

(ङ) "आशय घोषणा-पत्र" का तात्पर्य अपेक्षित दस्तावेजों सहित अनुलग्नक-1 के रूप में इसके साथ यथा संलग्न प्रारूप में (भौतिक या इलेक्ट्रानिक प्रारूप में) सूचना उपलब्ध कराकर तथा प्रस्तुत करके अभिव्यक्त कोई उद्यम स्थापित करने/उसे विस्तारित करने/विविधीकरण करने के आशय से है;

(च) "उद्यम" का तात्पर्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से है।

(छ) "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं विकास अधिनियम, 2006" (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 27 सन् 2006) में यथा परिभाषित किसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से है।

(ज) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है।

(झ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

(ञ) "वाणिज्यिक संचालन का प्रारम्भ" का तात्पर्य ऐसे दिनांक से है जिस दिनांक को कोई उद्यम, इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराये गये आशय घोषणापत्र से सम्बन्धित विनिर्मित माल या प्रदत्त सेवाओं की प्रथम आपूर्ति देयक/बीजक/कर बीजक जारी करता है।

(ट) "नवीन उद्यम" का तात्पर्य ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से है जिसके वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने का दिनांक, अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात हो। इसमें विद्यमान उद्यमों द्वारा विस्तारीकरण/विविधीकरण किया जाना सम्मिलित है जिसमें वे नवीन पूँजी विनिधान के माध्यम से सकल खण्ड में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हैं

(ठ) "नोडल अभिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्थापित नोडल अभिकरण से है।

(ड) "अधिसूचना" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के गजट में प्रकाशित किसी अधिसूचना से है और तदनुसार शब्द अधिसूचित का तात्पर्य होगा।

3- सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित दो अधिकार प्राप्त समितियाँ गठित करेगी:-

(१) उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त समिति:- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में उतने सदस्य होंगे जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाय। एम०एस०एम०ई० एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश का अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उक्त समिति का सदस्य सचिव होगा।

(२) जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति:- सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(१) उप जिला मजिस्ट्रेट (सम्बन्धित)	सदस्य
(२) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
(३) अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	सदस्य
(४) उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त	सदस्य
(५) क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	सदस्य
(६) सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय	सदस्य
(७) जिला अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
(८) उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र	सदस्य-सचिव

अधिकार
प्राप्त
समितियाँ

4- (१) उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त समिति ऐसे अन्तर विभागीय नीति स्तरीय बिन्दुओं को चिन्हांकित करेगी जो अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने हेतु आवश्यक हैं। उक्त बिन्दु, राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण द्वारा उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त समिति को निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(२) जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति, अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को प्रस्तुत किये गये आशय घोषणा-पत्र (चाहें वह भौतिक प्रारूप में या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में हों) को स्वीकृत/अस्वीकृत करेगी।

अधिकारी
प्राप्त
समितियों के
कृत्य

5- इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नोडल अभिकरण होंगे:-

(१) राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण :- सरकार और उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त समिति के अधीक्षण निदेश और नियंत्रण के अधीन उद्योग निदेशालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण होगा।

नोडल
अधिकरण

(२) जिला स्तरीय नोडल अभिकरण :- सरकार और जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण के अधीन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जिला स्तरीय नोडल अभिकरण होगा।

नोडल अधिकारी
के कृत्य 6- नोडल अभिकरण की शक्तियाँ और कृत्य निम्नवत होंगे:-

(1) राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण, जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति/जिला स्तरीय नोडल अभिकरण द्वारा स्वयं के लिये निर्दिष्ट बिन्दुओं को चिन्हित करेगा यदि कोई बिन्दु नीति निर्माण या अन्तर विभागीय स्तर के बिन्दु से सम्बन्धित हो तो राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण इसे मार्गदर्शन हेतु उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त समिति को निर्दिष्ट करेगा।

(2) जिला स्तरीय नोडल अभिकरण, अधिनियम की धारा 8 में यथा परिभाषित जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की संस्तुतियों पर अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी करके राज्य में उद्यम स्थापन के लिये सहायता करेगा और उसे सरलीकृत करेगा। जिला स्तरीय नोडल अभिकरण, प्राप्त आशय घोषणा-पत्र के अभिलेख और इस अधिनियम के अधीन जारी अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र को भी अनुरक्षित करेगा।

(3) सरकार, गजट में अधिसूचना, द्वारा नोडल अभिकरणों को ऐसी अन्य शक्तियाँ और कृत्य समनुदेशित कर सकती हैं जैसा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिये उचित समझे।

आशय घोषणा-पत्र
का भरा जाना

7-(1) इस अधिनियम के अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र चाहने वाले प्रत्येक नवीन उद्यम को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक संख्या-1 के साथ यथा संलग्न प्रारूप में जिला स्तरीय नोडल अभिकरण को सम्यक रूप से भरा गया आशय घोषणा-पत्र उपलब्ध कराना होगा:-

- (क) भूमि से संबंधित आवेदन-पत्र [उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 के अनुसार)];
- (ख) विद्युत सुरक्षा से संबंधित आवेदन-पत्र;
- (ग) प्रदूषण से संबंधित आवेदन-पत्र;
- (घ) श्रम से संबंधित आवेदन-पत्र;
- (ङ) अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवेदन-पत्र।

(2) आशय घोषणा-पत्र, सांपत्तिक उद्यम के मामले में प्रबंधन भागीदार द्वारा, भागीदार उद्यम के मामले में प्राधिकृत भागीदार द्वारा और अन्य प्रकार के उद्यमों के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। यदि उक्त उद्यम का एक से अधिक भू-गृहादि में वाणिज्यिक संचालन हो तो आशय घोषणा-पत्र ऐसे प्रत्येक भू-गृहादि के लिये पृथक्पृथक प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) समस्त रूप में पूर्ण किये गये आशय घोषणा-पत्र प्राप्त होने पर उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के सचिव के रूप में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उक्त घोषणा का विश्लेषण करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों से संबंधित आशय घोषणा-पत्र के साथ प्रपत्र संबंधित विभागों को ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने के 72 घंटे के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की जायेगी। यदि जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने के 72 घंटे के भीतर आयोजित नहीं की जाती है तो आशय घोषणा-पत्र का अनुमोदन परिपत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

अभिस्वीकृति
प्रमाण-पत्र प्रदान
किया जाना

8-(1) समस्त संबंधित दस्तावेजों सहित उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र/सदस्य सचिव, जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन-पत्र, अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर विचार किये जाने तथा विनिश्चय किये जाने के लिये जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(2) अनुलग्नक संख्या-2 के रूप में इसके साथ यथा संलग्न प्रारूप में जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की संस्तुतियों पर उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे।

(क) समस्त अभिस्वीकृतियां राज्य सरकार के निवेश-मित्र पोर्टल पर अपलोड की जायेगी;

(ख) विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनी महायोजना के अनुसार विहित प्रपत्र में आवेदक/उद्यम के भवन योजना अनुमोदन अनुरोध की प्राप्ति पर निर्धारित समय के भीतर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी;

(ग) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) के अनुसार भूमि के संबंध में जिला स्तरीय नोडल अभिकरण, कृषि भू-उपयोग परिवर्तन और भूमि सीमा-विस्तार संबंधी अनापति प्रमाण-पत्र के लिये समस्त रूप में पूर्ण आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने के 72 घंटे के भीतर अपेक्षित अनुमोदन जारी करेगा। यह जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के पश्चात किया जायेगा। यदि आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने के 72 घंटे के भीतर जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित नहीं की जाती है तो आशय घोषणा-पत्र पर अनुमोदन परिपत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

स्पष्टीकरण :- ऐसा कोई आवेदक/उद्यम, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित समस्त या कोई अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास गया हो, इस धारा के अधीन कोई उद्यम प्रारम्भ करने हेतु आशय घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने हेतु भी विकल्प प्राप्त कर सकता है।

9-(1) इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी कोई अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र, सभी प्रयोजनों के लिए इस रूप में प्रभावी होगा, मानो वह जारी किये जाने के दिनांक से 1000 दिवस की अवधि के लिए धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित अनुमोदन प्राप्त किया हो, और उक्त 1000 दिवस की समाप्ति के पश्चात उक्त उद्यम को ऐसी समाप्ति के दिनांक से 100 दिवसों के भीतर धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा:-

अभिस्वीकृति
प्रमाण-पत्र का
प्रभाव और
उसकी
विधिमान्यता

परन्तु यह कि महायोजना, जहाँ कहीं प्रवृत्त हो में यथा विनिर्दिष्ट भू-उपयोग के बदले में किसी भूमि का उपयोग करने हेतु किसी व्यक्ति या उद्यम को अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र हक नहीं प्रदान करेगा। यह सरकार के विभिन्न विधियों के अधीन प्रतिषिद्ध श्रेणी में आने वाली भूमि का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति या किसी उद्यम को हक नहीं प्रदान करेगा। जहाँ उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र में हो और महायोजना की अधिसूचित क्षेत्र के बाहर हो वहाँ 1000 दिवस की अवधि, जिसमें अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र विधिमान्य हो, के लिए कोई कृषि भू-उपयोग संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होगा, और भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1000 दिवस की अवधि जिसमें अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र विधिमान्य हो, के लिए कोई उद्यम प्रारम्भ करने हेतु ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट 1000 दिवस की अवधि के दौरान कोई सक्षम प्राधिकारी धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित किसी अनुमोदन के प्रयोजनार्थ या तत्सम्बन्ध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा।

(3) औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 8 और 15 के सिवाय समस्त अन्य धाराएँ इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रभावी होंगी।

10- जहाँ सरकार या अधीन कोई प्राधिकारी किसी उद्यम को किसी अनुमोदन या निरीक्षण अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उससे सम्बन्धित किसी उपबन्ध से छूट प्रदान करने में समर्थ हो, वहाँ यथास्थिति सरकार या कोई ऐसा प्राधिकारी ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अधीन धारा 8 के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से अन्यून 1000 दिवस की अवधि के लिए राज्य में स्थापित किसी उद्यम को ऐसी छूट प्रदान करने की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

छूट प्रदान
किया जाना

11- निम्नलिखित मर्दों का विनिर्माण करने हेतु आशय घोषणापत्र प्रस्तुत करने वाले उद्यमों छट पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा:-

- (एक) तम्बाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला इत्यादि;
- (दो) अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद आदि;
- (तीन) पटाखों का विनिर्माण;
- (चार) 40 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी में यथावर्गीकृत मोटाई के प्लास्टिक बैग;
- (पाँच) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा "लाल श्रेणी" के अधीन अधिसूचित उत्पाद। तथापि "नारंगी" और "हरित" श्रेणी के अधीन श्रेणीकृत उद्योग, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी से सम्यक अनुजा प्राप्त करने के पश्चात् स्थापित और संचालित किये जाने के लिये पात्र होंगे।
- (छ) समय-समय पर प्रतिषिद्ध सूची में श्रेणीकृत अन्य उत्पाद।

सूक्ष्म और लघु
उद्यम
सरलीकरण
परिषद की
स्थापना

12- जहाँ कहीं और जब भी अपेक्षित हो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 30 में यथाउलिखित सूक्ष्म और लघु उद्यम सरलीकरण परिषद, मंडलायुक्तों की अध्यक्षता में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जायेगी। सम्बन्धित मंडल का संयुक्त आयुक्त उद्योग परिषद के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा।

व्यावृतियाँ

13- धारा 10 के उपबन्धों के अधीन इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों अथवा इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप में उपबन्धित सीमा के सिवाय तद्धीन विनिर्दिष्ट विनियामक उपायों और मानकों के अनुप्रयोग से किसी उद्यम को छट प्रदान किया हुआ माना जायेगा।

भू-राजस्व
बकायों की
वसूली

14- यदि कोई उद्यम स्वयं परिसर द्वारा अथवा किसी संस्था या केन्द्र द्वारा किये गये किसी डिक्री, अधिनिर्णय या अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए एम०एस०एम०ई०डी० अधिनियम, 2006 की धारा 19 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत नहीं करता है अथवा ऐसी अपील समाप्त कर दी जाती है तो उस स्थिति में ऐसी डिक्री, अधिनिर्णय या आदेश का निष्पादन सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा, और देय धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँति की जायेगी।

सद्भावनापूर्वक
कृत कार्यवाही

15- इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए सरकार या नोडल अभिकरण या सक्षम प्राधिकरण या सरकार के किसी कर्मचारी, नोडल अभिकरण या सक्षम प्राधिकरण के विरुद्ध कोई वाद अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेंगी।

कठिनाइयाँ दूर
करने की शक्ति

16-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसा कि उसे कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो:-

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

शक्ति

17-(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम उन्हें बनाये जाने के पश्चात्, यथा शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह अन्यून 14 दिन के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो, रखे जायेंगे, और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसे किसी उपान्तरण या वातिलीकरण से तद्धीन पूर्व में कृत किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्य व कारण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को चिन्हित करके राज्य में समावेशी आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि स्थापन एवं प्रचालन के प्रारम्भिक वर्षों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्थापन और प्रचालन के लिये अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों तथा निरीक्षणों से छूट उपबन्धित करने हेतु एक विधि बनायी जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे०पी० सिंह॥,
प्रमुख सचिव।
